राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या .1858 / 2015........................... ....जिला.........भरतपुर...

श्री गोलईया पुत्र प्रभाती, भरतपुर बनाम् राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक नदबई व अन्य।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12 / 08 / 2016	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** पत्रावली पेश हुई। निगराकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री रोहित सोनी एवं विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 65 के तहत मांग राशि का 25 प्रतिशत, जो कि निगरानी प्रस्तुत करने हेतु बाध्यकारी है, जमा नहीं करवायी है। बाध्यकारी राशि जमा कराने हेतु निगरानीकर्ता एवं उनके अभिभाषक को कई बार अवसर प्रदान किये गये, तत्पश्चात भी उनके द्वारा मांग राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा की रसीद कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है निगरानीकर्ता स्वयं द्वारा प्रस्तुत निगरानी को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रस्तुत निगरानी ग्रहणता के बिन्दु पर पोषणीय (Maintainable) नहीं होने से खारिज की जाती है । निर्णय सुनाया गया । 12.8.2016 (मदन लाल) सदस्य	